पत्रांक:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-03/2018........../

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

199
31.5.18

कार्यालय आदेश

निबंधित

संवेदक श्री कमलेश कुमार राय, पिता-श्री सिकन्दर राय, मु0-न्यू एरिया, पो0-सासारम, जिला-रोहतास(बिहार),निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-1149(भवन)/2009 को भवन प्रमंडल सासाराम अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र सेमरी-5 का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम के पत्रांक-1377अनु0 दिनांक-27.11.2017 द्वारा कालीसूची में दर्ज करने के अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता (दक्षिण) के पत्रांक-11अनु0 दिनांक-02.01.2018 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डालने की अनुशंसा की गई है।

दिनांक-05.01.2018 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें संवेदक श्री कमलेश कुमार राय, से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संवेदक श्री कमलेश कुमार राय, से विभागीय पत्रांक-454(भ0)अनु0 दिनांक-15.01.18 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। संवेदक द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया। दिनांक-05.02.2018 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें पुन: उक्त संवेदक से पुन: स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक-1564(भ0)अनु0 दिनांक-19.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया। दिनांक-06.04.2018 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें अंतिम रूप से उक्त संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। पुन: विभागीय पत्रांक-3961(भ0)अनु0 दिनांक-25.04.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसका जबाव संवेदक द्वारा नहीं दिया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-07.05.18 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में समिति विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(क)(ii) के आलोक में संवेदक श्री कमलेश कुमार राय, पिता-श्री सिकन्दर राय, मु0-न्यू एरिया, पो0-सासारम, जिला-रोहतास (बिहार), निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-1149(भवन)/2009 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अत: संवेदक श्री कमलेश कुमार राय, पिता-श्री सिकन्दर राय, मु0-न्यू एरिया, पो0- सासारम, जिला-रोहतास(बिहार), निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-1149(भ0)/2009 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जाता है।

30/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-03/2018..........5306 (भ) पटना, दिनांक-..31.5.18

प्रतिलिपि:-संवेदक श्री कमलेश कुमार राय, पिता-श्री सिकन्दर राय, मु0-न्यू एरिया, पो0-सासारम, जिला-रोहतास(बिहार), निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-1149(भवन)/2009 को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-03/2018.......5306 (अ) पटना,दिनांक-31.5.18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-03/2018.......5306 (अ) पटना, दिनांक-31.5.18

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

30.5.18